



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 49 /2021
GST Circular No. 25 /2021

No. 2018/AC-II/1/57

30th August, 2021

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub :- GST-TDS Reconciliation of EBRS funded Contracts.

Ref:- RBA No. 05/2021 dated 22nd January, 2021

Railway Board vide letter referred ibid had directed all the Zonal Railways to review the data placed in CRIS GST manual utility portal to check the amount remitted to IRFC on account of GST-TDS and Income Tax TDS.

IRFC has pointed out that an amount of Rs. 6.50 crore is still pending to be remitted by some of the Zonal Railways/Production Units. Details of the Railway wise pending amount to be remitted as per IRFC's record are placed in CRIS GST Manual Utility portal under 'Important Links'. All the Zonal Railways/Production Units are requested to check the same. If payment has been made to IRFC on this account, the remittance details may be intimated to GM/F/IRFC, else the payment may be arranged immediately under advice to Board. **This needs to be urgently addressed by all the Zonal Railways and Production Units.** Feedback on this may also be sent to GM/F/IRFC.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS.
2. GM/Finance/IRFC
3. JDF/L&F, Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 49/2021
जीएसटी परिपत्र सं. 25/2021

सं. 2018/एसी-11/1/57

30 अगस्त, 2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: ईबीआरएस वित्तपोषित संविदाओं का जीएसटी-टीडीएस समन्वय।

संदर्भ: दिनांक 22 जनवरी, 2021 का आरबीए संख्या 05/2021

रेलवे बोर्ड ने उक्त संदर्भित पत्र के तहत सभी क्षेत्रीय रेलों को जीएसटी-टीडीएस और आयकर टीडीएस के लिए आईआरएफसी को प्रेषित राशि की जांच के लिए क्रिस जीएसटी मैनुअल यूटिलिटी पोर्टल में दर्शाए गए डाटा की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे।

आईआरएफसी ने यह सूचित किया है कि कुछ क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रेषित की जाने वाली 6.50 करोड़ रुपए की राशि अभी तक बकाया है। आईआरएफसी के रिकॉर्ड के अनुसार प्रेषित की जाने वाली बकाया राशि का रेलवे-वार विवरण 'इम्पोर्ट लिंक' के अंतर्गत क्रिस जीएसटी मैनुअल यूटिलिटी पोर्टल पर दिया गया है। सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से इसकी जांच करने का अनुरोध किया जाता है। यदि इस संबंध आईआरएफसी को भुगतान कर दिया गया है तो प्रेषण विवरण महाप्रबंधक/वित्त/आईआरएफसी को भेजा जाए अन्यथा भुगतान की तत्काल व्यवस्था की जाए और बोर्ड को सूचित किया जाए। सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इस संबंध में प्रतिपुष्टि (फीडबैक) महाप्रबंधक/वित्त/आईआरएफसी को भी भेजी जाए।



(संजीव शर्मा)

विशेष कार्याधिकारी/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।
2. महाप्रबंधक//वित्त/आईआरएफसी
3. संयुक्त निदेशक वित्त (एल एंड एफ), रेलवे बोर्ड